

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (254) ग्राविवि/ग्रुप-5/जीकेएन/2015-16

जयपुर, दिनांक: 23.03.2017


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद,  
समस्त राजस्थान।

**विषय:-** ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत।

**प्रसंग:-** विभाग समसंख्यक पत्र दिनांक 10.08.2016 एवं दिनांक 10.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्यों (प्रगतिरत) के लिए मौके पर आवश्यक सेम्पल लेने एवं तदनानुसार तकनीकी परीक्षण करवाकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 10.08.2016 से पूर्व के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन हेतु टेस्टिंग रिपोर्ट की अनिवार्यता के सम्बन्ध में जिला परिषद अजमेर के पत्र क्रमांक फा0 विधायक कोष/2016-17/5388 दि. 15.02.17 एवं 5675 दि. 28.02.17 द्वारा मार्गदर्शन चाहा है।

इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न योजनांतर्गत सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय पत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार पूर्ण/प्रगतिरत समस्त सड़क कार्यों के सम्पादन के दौरान ही लिए गये सेम्पल आदि की जांच/तकनीकी परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है एवं तदनानुसार उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का नियमानुसार समायोजन किया जावे। अतः पत्र जारी होने की दिनांक 10.08.2016 से पूर्व पूर्ण हुये सड़क कार्यों के लिए तकनीकी परीक्षण/जांच करवाया जाना अनिवार्य नहीं है। यदि कार्य विशेष में आवश्यक हो तो नियमानुसार तकनीकी परीक्षण/जांच करवाई जा सकती है।

  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
4. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एम एण्ड ई/एसएपी-प्रथम/एसएपी-द्वितीय/ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/महात्मा गांधी नरेगा।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरसेड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता (अभि./ईजीएस), जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त, राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)